

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल- इलाहाबाद

पत्रांक 813/पा0390वि0/पंजीकरण "सी" श्रेणी/18-19

दिनांक 10-8-2018

पंजीकरण सं० 11/2018-19

पंजीकरण प्रमाण पत्र

श्री अमर नाथ पाल पुत्र स्व० जगू पाल, ग्राम सैयद सरावा, थाना चरवा, परगना व तहसील चावल, जनपद कौशांबी को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद में भवन/मार्ग एवं पुल के सिविल निर्माण के लिये "सी" श्रेणी में टेकेंदारी हेतु पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद के अन्तर्गत समस्त प्रखण्डों में मान्य होगा तथा इस प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 30.08.2021 तक वैध होगा कि किसी भी समय टेकेंदार द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रपत्र/तथ्य यदि गलत पाया जाता है तो पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा, एवं विद्यमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। इस प्रमाणपत्र की वैधता दिनांक 30.08.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नोट:- टेकेंदार को पंजीकरण/परीचीकरण करने में उपर्युक्त
इस विभाग के नियमों के अन्तर्गत अधिकारों का पंजीकरण करना
एवं सादरलेख प्राप्त करना अनिवार्य है।

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड कौशांबी को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सैयद सरावा, कौशांबी द्वारा निर्गत टी0डी0आर0 सं०-128657 दिनांक 27.07.2018 जमा धनराशि रु० 1,00,000.00 को अधोहस्ताक्षरी के पदनाम बंधक है, मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उक्त जमानत धनराशि को अपनी सेफ कस्टडी में रख लें और जब तक इस स्तर से कोई आदेश/निर्देश निर्गत न किये जायें तब तक बंधक मुक्त न करें (संलग्नक मूल रूप में)।
3. श्री अमर नाथ पाल पुत्र स्व० जगू पाल, ग्राम सैयद सरावा, थाना चरवा, परगना व तहसील चावल, जनपद कौशांबी द्वारा अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड कौशांबी।

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद।

